कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री हेवलेट पैकार्ड इण्डिया सेल्स प्रा0 लि0, प्लाट नम्बर-सी-52, ट्रांसपोर्ट नगर, नियर प्राथमिक पाठशाला, शहीद पथ रोड, लखनऊ।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**034 / 13, 01.08.2013**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री हेवलेट पैकार्ड इण्डिया सेल्स प्रा0 लि0, प्लाट नम्बर-सी-52, ट्रांसपोर्ट नगर, नियर प्राथमिक पाठशाला, शहीद पथ रोड, लखनऊ द्वारा दिनांक 01.08.2013 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा '' Multi Function Printer पर Computer peripherals की भाँति '' वैट अधिनियम के अन्तर्गत करदेयता निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को दिनांक 13.11.2013 के लिए उनके प्रार्थना पर तिथि नोट करायी गयी। पुन: 03 नोटिस जारी होने के पश्चात प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर ही दिनांक 22.01.2014 की तिथि, 05.02.2014 की तिथि एवं अन्तिम रूप से दिनांक 13.03.2014 की तिथि नोट करायी गयी। निर्धारित तिथि 13.03.2014 को प्रार्थी, प्रतिनिधि अथवा अधिवक्ता अनुपस्थित रहे।

3. उपरोक्त संदर्भ में ज्वाइन्ट कमिश्नर (कारपोरेट सर्किल) वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-730, दिनांक 30.08.2013 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि Multi-function Printers (MFP) सामान्य प्रिन्टर की श्रेणी से भिन्न है क्योंकि प्रिन्टर से केवल प्रिन्ट-आउट निकलता है जबकि Multi-function Printers (MFP) से प्रिन्टिंग, कापिइंग तथा फैक्स का भी कार्य होता है। स्पष्ट है कि Multi-function Printers (MFP) सामान्य प्रिन्टर्स से पूर्णतया भिन्न है और यह उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत कर की दरों के जो शेड्यूल निर्धारित किये गये हैं उसमें से Multi-function Printers (MFP) अनुसूची-I, II, III एवं IV में किसी भी में वर्गीकृत नहीं हैं। स्पष्ट है कि यह शेड्यूल-V के अन्तर्गत आयेगा। इस पर नियमानुसार शेड्यूल-V के अन्तर्गत निर्धारित कर की दर से करदेयता आकर्षित होगी।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया कि Multi Function Printer पर कर की दर के सम्बन्ध में सर्वश्री निओटेरिक इन्फोमेटिक प्रा0 लि0, 7-11ए, तिलक मार्ग, डालीबाग, लखनऊ एवं सर्वश्री क्योसेरा सोल्यूशन्स (इण्डिया) प्रा0 लि0, 209, ए एण्ड बी द्वितीय तल, शालीमार स्क्वायर, लखनऊ प्रार्थना-पत्र संख्या-252 / 08 (प्रतिप्रेषित वाद) में कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.03.2014 में विस्तृत विवेचन करते हुए Multi Function Printer पर Computer peripherals की भाँति 4% की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है। चूँकि पूर्व में ही उक्त वस्तु पर कर की दर निर्धारित की जा चुकी है। अत: पुन: कर की दर का निर्धारण किये जाने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कारपोरेट

....2

सर्किल) वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि सर्वश्री निओटेरिक इन्फोमेटिक प्रा0 लि0, 7-11ए, तिलक मार्ग, डालीबाग, लखनऊ एवं सर्वश्री क्योसेरा सोल्यूशन्स (इण्डिया) प्रा0 लि0, 209, ए एण्ड बी द्वितीय तल, शालीमार स्क्वायर, लखनऊ प्रार्थना-पत्र संख्या-252 / 08 (प्रतिप्रेषित वाद) में निर्णय दिनांक 05.03.2014 पारित करते हुए Multi Function Printer पर कर की दर निर्धारित की जा चुकी है। अतः पुनः कर की दर का अभिनिर्धारण करने की आवश्यकता नहीं है।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 21 मार्च, 2014

ह0 / 21.03.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।